



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62823

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 5676 वर्ष 2026

दीपक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता:

हरिश्चंद्र, संजीव पटेल

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री संजीव पटेल, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री राधेश्याम, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अधीन वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक दीपक की ओर से इस प्रार्थना के साथ योजित किया गया है कि विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे मुकदमा अपराध संख्या-119 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गुण्डा एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अधीन, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर में पंजीकृत मामले में जमानत पर रिहा किया जाए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दर्शाए गए दोनों मामलों में जमानत पर है, इसके अतिरिक्त आवेदक दो अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक, जो 6.1.2026 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि जमानत दी गई तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दर्शाए गए दोनों मामलों में जमानत पर है, इसके अतिरिक्त आवेदक दो अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक 6.1.2026 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी दृष्टिगत रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक-दीपक की उपरोक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रुपये 50,000/- का निजी मुचलका एवं उसी राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप-निर्माण एवं (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन बयान अभिलिखित करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक एक वचनपत्र योजित करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त करने के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”